भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2246
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

कार्यबल में महिला भागीदारी

2246. श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास 2015 के बाद से देश में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) 2015 के बाद से बेरोजगार रहने वाली महिलाओं की संख्या का राज्य-वार डेटा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर नीचे दी गई हैः

महिला श्रम भागीदारी दर	
सर्वेक्षण*	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	23.3%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	27.4%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

प्रमुख स्थिति और सहायक स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं की बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार में ब्यौरा अनुबंध में दिए गए हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को स्तन-पान हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी बगैर किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

अनुबंध– I

कार्यबल में महिला भागीदारी के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 02.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और सामान्य स्थिति व सहायक स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेरोजगारी दर		
राज्य संघ राज्य /-क्षेत्र	श्रम ब्यूरो (2015-16)	पीएलएफएस (2017-18)
आंध्र प्रदेश	3.7	3.9
अरुणाचल प्रदेश	2.9	11.5
असम	8.4	13.6
बिहार	3.9	2.8
छत्तीसगढ़	1.1	3.3
दिल्ली	7.1	10.7
गोवा	15.2	26.0
गुजरात	0.5	4.1
हरियाणा	5.5	10.6
हिमाचल प्रदेश	16.3	4.3
जम्मू और कश्मीर	25.7	8.5
झारखंड	1.8	5.2
कर्नाटक	1.8	4.7
केरल	24.5	23.2
मध्य प्रदेश	6.3	2.1
महाराष्ट्र	1.7	5.4
मणिपुर	2.7	15.7
मेघालय	6.9	1.9
मिजोरम	2.3	13.3
नागालैंड	6.1	34.3
ओडिशा	6.6	6.3
पंजाब	18.7	11.7
राजस्थान	2.8	2.3
सिक्किम	13.2	5.2
तमिलनाडु	5.4	7.1
तेलंगाना	4.2	7.2
त्रिपुरा	16.8	11.6
उत्तराखंड	9.1	10.7
उत्तर प्रदेश	13.9	3.1
पश्चिम बंगाल	6.8	3.1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	30.8	42.8
चंडीगढ़	1.9	20.8
दादरा और नगर हवेली	7.3	0.0
दमन और दीव	1.8	3.3
लक्षद्वीप	8.5	50.5
पुडुचेरी	10.2	21.7
अखिल भारतीय	5.8	5.6

स्रोत: श्रम ब्यूरो द्वारा पांचवां वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16) वार्षिक रिपोर्ट (पीएलएफएस, 2017-18) एमओएसएंडपीआई